

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक जी-3/1/96/सी/चार

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी, 1996

प्रति,

शासन के सभी विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
सभी कमिश्नर,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियमों में संशोधन.

राज्य शासन ने विषयान्तर्गत नियमों में संशोधन किया है जिसकी अधिसूचना की प्रति संलग्न है. संशोधनों का मुख्य उद्देश्य अस्थाई शासकीय कर्मचारियों को आसानी से असाधारण अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराना है. इसके अलावा कुछ और विसंगतियां भी दूर की गई हैं.

2. अब अस्थाई शासकीय सेवकों को सभी प्रकार की छुट्टियां (असाधारण अवकाश सहित) वैसी ही मिलेगी जैसी स्थाई शासकीय सेवकों को मिलती है.

सहपत्र :- अधिसूचना की प्रति

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
हस्ता/-
(ए. एन. अस्थाना)
वित्त सचिव.

पृष्ठांकन क्रमांक जी-3/1/96/सी/चार

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी, 1996

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, भोपाल.
 2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
 3. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल.
 4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर.
 5. सचिव लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
-
6. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल को अधिसूचना राजपत्र भाग-4 (ग) में प्रकाशित करने के लिये.
-
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा), भोपाल.
 8. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा), भोपाल.
 9. मुख्य लेखा अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.
-
10. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय-110/18, शिवाजी नगर, भोपाल
 11. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर, भोपाल.
 12. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय-85/61, तुलसी नगर, भोपाल.
 13. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. लघु वेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय-12/5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल.

14. प्रमुख महामंत्री, म. प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय, -6/45, बंगले, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल.
15. महामंत्री, म. प्र. राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय-48/26, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल.
16. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय-98/48, तुलसी नगर, भोपाल.
17. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, 83/85 तुलसी नगर, भोपाल.
18. अध्यक्ष, म. प्र. सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल.
19. पेंशनर कल्याण मंडल के सभी सदस्य.

20. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.

21. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश.
22. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
23. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

हस्ता/-
(मिलिन्द वाईकर)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
Finance Department

NOTIFICATION

Bhopal, dated the twentyninth of February, 1996

No. G-3/1/96/C/IV. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Service (Leave) Rules, 1977, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules :-

(1) for rule 11, the following rule shall be substituted, namely :-

“11. Maximum period of absence from duty-No Government servant shall be granted leave of any kind of a continuous period exceeding five years.”

(2) for rule 31, the following rule shall be substituted, namely :-

“31. Extraordinary Leave- (1) Subject to the provisions of rule 11, extraordinary leave may be granted to a Government servant in the following special circumstances, that is to say-

(a) when no other kind of leave is admissible, or

(b) When any other kind of leave is admissible but the Government Servant applies in writing for the grant of extraordinary leave.

(2) The authority competent to grant leave may retrospectively convert period of absence without leave into extraordinary leave even when any other kind of leave was admissible at the time when absence without leave commenced.

(3) Extraordinary leave shall not be debited to the leave account.”

(3) rule 57 shall be omitted

(4) rule 5 shall be omitted

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh.

Sd/-

(A. N. ASTHANA)

Finance Secretary.